स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के सभी सदस्यों को

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने **इण्डियन ओवरसीज़ बैंक** (बैंक) के पृथक वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2025 तक के तुलन पत्र के अलावा तत्संबंधी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि का विवरण व नकद प्रवाहों का विवरण शामिल है। इसके अलावा इसमें संबंधित तिथि हेतु केंद्रीय कार्यालय के संबंध में विनिर्दिष्ट लेखांकन नीतियों और अन्य स्पष्टीकरण मूलक सूचनाओं के सारांश सहित वित्तीय विवरणों के प्रति सभी नोट शामिल हैं।

i. हमारे द्वारा केंद्रीय कार्यालय और 20 शाखाओं का लेखापरीक्षा किया गया,

ii. सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा 20 अन्य कार्यालयों सहित 903 शाखाओं का लेखा परीक्षण किया गया।

iii. स्थानीय लेखा परीक्षकों द्वारा 4 विदेशी शाखाओं का लेखापरीक्षा किया गया।

हमारे द्वारा तथा अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक (**आरबीआई**) द्वारा बैंकों को ज़ारी दिशानिर्देशों के अनुरूप ही किया गया है।

इस तुलन-पत्र में 2389 शाखाओं और 57 क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त लाभ व हानि खाते का विवरण और नकद प्रवाह विवरणी शामिल जो लेखा परीक्षा के अधीन नहीं है। ये लेखापरीक्षित शाखाएं अग्रिम के क्षेत्र में 20.15%, जमाओं में 52.93%, ब्याज आय में 26.19% और ब्याज संबंधी खर्चों में 26.78% का अंशदान करती है।

हमारे अभिमत और हमारे संज्ञान के अनुसार तथा हमें प्रदत्त किए गए स्पष्टीकरणों के अनुक्रम में उक्त पृथक वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (**अधिनियम**) द्वारा वांछित सूचना प्रदान करते हैं, जो बैंक के लिए आवश्यक है और इस रूप में भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप है :

ए. तुलन पत्र को उसमें दी गई पूरी टिप्पणियों में पूर्ण और उचित तुलन पत्र के सभी आवश्यक ब्योरे निहित हैं, भारत में स्वीकृत सामान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च 2025 को बैंक की वर्तमान स्थिति का ठीक रूप से सही और उचित आकलन किया गया है;

बी. लाभ और हानि खाता, उस पर नोट्स के साथ पठित वास्तविक लाभ को दर्शाता है; और

सी. नकदी प्रवाह विवरण उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह की सही एवं उचित स्थिति दर्शाता है।

अभिमत का आधार

2. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा-परीक्षा विषयक मानकताओं के अनुसार की है। इन मानकताओं के अधीन हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के भाग की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों के तहत विस्तृत रूप से दर्शाया गया है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी नीतिगत संहिता के अनुसार बैंक संबंध रखे बिना तथा अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा से जुडी नीतिगत अपेक्षाओं सहित लेखापरीक्षा की है जिसमें कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2021 के तहत अधिसूचित लेखांकन मानक शामिल हैं, जो समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए परिपत्र और दिशानिर्देश के अनुसरण में तैयार किया गया है और हमने अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार पूरा किया गया है। हमें विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वह पर्याप्त और अपने विचार को लिए आधार प्रदान करने के लिए सम्पयुक्त है।

मामलों पर बल

3. हम स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणी की अनुसूची 18 के निम्नलिखित नोट्स की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं :-

i. नोट संख्या 6.3, इसमें उल्लिखित कारणों से विभिन्न विवादित आयकर और अप्रत्यक्ष कर देयताओं का प्रावधान न करने से संबंधित है।

ii. आस्थगित कर परिसंपत्तियों से संबंधित ₹ 3863.98 करोड़ के वहन शेष और अनुमानित आधार पर वर्ष के दौरान ₹ 1160 करोड़ के प्रत्यावर्तन के संबंध में नोट संख्या 6.5 तथा 31 मार्च, 2025 तक आस्थगित कर परिसंपत्तियों के वहन शेष की प्राप्ति क्षमता का प्रबंधन मूल्यांकन।

इस संबंध में हमारे अभिमत में संशोधन नहीं किया गया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले :-

4. हमारे व्यवसायिक अभिमत में प्रमुख लेखा परीक्षा मामले वे मामले है जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं। इन मामलों पर हमारे अभिमत वित्तीय विवरणों के समावेश रूप में हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में हैं और उन पर हम अलग से कोई अभिमत प्रदान नहीं करना चाहते। निम्नांकित मामलों को हमने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है जो कि बैंक को हमारी रिपोर्ट के साथ संप्रेषित किए गए है।

I. अग्रिमों का वर्गीकरण, आय की पहचान, गैर-निष्पादित अग्रिमों की पहचान और प्रावधान (वित्तीय विवरणों के लिए अनुसूची 18 के नोट 3 के साथ पठित अनुसूची 17 के पैरा 5 का संदर्भ लें)

बैंक की निवल अग्रिम राशि कुल संपत्ति का 56.69 प्रतिशत है, जो वित्तीय विवरणों का महत्वपूर्ण भाग है। वे, अन्य बातों के आतिरिक्त, आय पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) मानदंडों और आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अग्रिमों को निष्पादित और गैर-निष्पादित (एनपीए) में वर्गीकृत करने से संबंधित दिशानिर्देश संबन्धित परिपत्रों और निर्देशों द्वारा शासित होते हैं, जो विदेशी कार्यालयों के मामलों के अतिरिक्त जिसमें अग्रिमों का वर्गीकरण और उसका प्रावधान स्थानीय नियमों या आरबीआई के दिशानिर्देशों, जो भी अधिक सख्त हो उसके अनुसार किया जाता है। बैंक इन अग्रिमों को अपनी लेखांकन नीति के अनुसार आईआरएसीपी मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत करता है।

निष्पादित और गैर-निष्पादित अग्रिमों की पहचान के लिए उचित तंत्र स्थापित है। बैंक अपने सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली (आईटी सिस्टम) अर्थात कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) में अग्रिमों से संबंधित सभी लेन-देन का हिसाब रखता है, जो यह भी चिन्हित करता है कि अग्रिम निष्पादन योग्य हैं या गैर-निष्पादित।

भारतीय रिज़र्व बैंक ("भारिबैं") द्वारा जारी अग्रिमों से संबंधित आय पहचान, संपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करने के अतिरिक्त, बैंक के पास गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों पर प्रावधान के लिए कुछ नीतियाँ भी हैं।

यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, आईआरएसीपी मानदंडों का ठीक से पालन नहीं किया जाता है, तो इन अग्रिमों (प्रावधानों का निवल) का आगामी मूल्य वास्तव में गलत हो सकता है।

लेन-देन की प्रकृति, नियामक आवश्यकताओं, वर्तमान कारोबारी माहौल, प्रतिभूतियों के मूल्यांकन और प्रावधानों की गणना में शामिल अनुमान/निर्णय को ध्यान में रखते हुए, यह स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के इच्छित उपयोगकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण विषय है।

इसके अतिरिक्त, आहरण शक्ति की गणना के लिए उधारकर्ताओं और अग्रणी बैंक द्वारा प्रस्तुत डेटा पर निर्भरता, प्रतिभूति मूल्यांकन के लिए तीसरे पक्ष, भारिबैं द्वारा जारी विभिन्न दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधानों की गणना, पुनर्गठित अग्रिमों के लिए मूल्य में कमी की गणना और ब्याज आय की पहचान पर निर्भरता के कारण गैर-निष्पादित अग्रिमों सहित, हमने उपरोक्त क्षेत्र को एक प्रमुख लेखापरीक्षा विषय के रूप में निर्धारित किया है।

लेखा-परीक्षक के अभिमत

मुख्य लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ

हमने गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की पहचान करने और उनके प्रावधान करने के लिए बैंक की प्रणाली का आकलन किया। हमारी लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और निम्नलिखित सहित वास्तविक परीक्षण शामिल थे :

ए) हमने सिस्टम में निर्मित नियंत्रणों, भारिबैं के दिशानिर्देशों के पालन के संबंध में शामिल जाँच और संतुलन व गैर-निष्पादित संपत्तियों की पहचान के लिए संबंधित बैंक की नीतियों, प्रकृति, समय और ठोस प्रक्रियाओं के सीमा निर्धारित करने के प्रावधान के बारे में बैंक से जानकारी प्राप्त की और तदनुसार हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की योजना बनाई।

बी) हमें शीर्ष 20 शाखाओं के संबंध में आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार आय पहचान, निष्पादित और गैर-निष्पादित अग्रिमों में वर्गीकरण और प्रावधान के लिए सिस्टम में डेटा इनपुट की सटीकता जाँच के लिए आबंटित की गई थी। हमाने आबंटित शाखाओं में ठोस प्रक्रियाओं को पूरा करने में, हमने बड़े अग्रिमों/ तनावग्रस्त अग्रिमों की जांच की है, जबकि अन्य अग्रिमों की नमूना आधार पर जांच की गई है, जिसमें बैंक के प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं की मूल्यांकन रिपोर्ट की समीक्षा भी शामिल है।

सी) आंतरिक लेखापरीक्षा, सिस्टम लेखापरीक्षा, क्रेडिट लेखापरीक्षा और समवर्ती लेखापरीक्षा जैसे निगरानी तंत्र की मौजूदगी और प्रभावशीलता, बैंक की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार है।

डी) शाखाओं से प्राप्त रिटर्न को स्वीकार किया गया, जो ऑडिट के अधीन नहीं हैं और उस संबंध में हमने उपलब्ध कराए गए नमूना डेटा की शुद्धता को पुष्टि करने के लिए बैंक के आंतरिक निगरानी तंत्र/ प्रणालियों की समीक्षा की और सुनिश्चित किया गया कि हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के दौरान पाए गए अपवाद/ विचलन/ त्रुटियों पर बैंक द्वारा विचार किया गया।

ई) समय-समय पर जारी भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की पहचान व प्रावधान और आय के संगत प्रतिवर्तन की जांच की गई।

एफ) एनपीए की पहचान और भारिबैं के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान की पर्याप्तता के उद्देश्य से प्रबंधन अनुमानों और निर्णयों का मूल्यांकन और परीक्षण किया गया।

जी) भारिबैं के निर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा कार्यान्वित परिसंपत्ति वर्गीकरण की स्वचालित आईटी आधारित प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया।

एच) हमने बैंक द्वारा चयनित अन्य देशीय और विदेशी शाखाओं के लिए शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए काम को स्वीकार किया है।

आई) नमूना आधार पर चयनित उधारकर्ताओं की फाइलों और ऐसे खातों के संचालन की समीक्षा की गई।

जे) प्रासंगिक विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं निष्पादित करना।

के) ब्याज आवेदन की परीक्षण जांच, अन्य शुल्क लगाना, कमीशन आदि।

एल) सुनिश्चित किया गया कि हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के दौरान पाए गए अपवादों को विधिवत सही किया गया है।

II. सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और वित्तीय रिपोर्टिंग को प्रभावित करने वाले नियंत्रण

बैंक की वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग प्रणाली, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) और सीबीएस से जुड़ी या स्वतंत्र रूप से काम करने वाली अन्य आईटी प्रणालियों के प्रभावी कामकाज पर अत्यधिक निर्भर है।

हमारा विशेष ध्यान सिस्टम में दिए गए तर्क, डेटा की शुद्धता और विश्वसनीयता, पहुंच प्रबंधन और कर्तव्यों का पृथक्करण से संबंधित है। ये अंतर्निहित सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे सुनिश्चित करते हैं कि अनुप्रयोगों और डेटा में परिवर्तन उचित, अधिकृत, शुद्ध और मॉनिटर किए गए हैं, जिससे सिस्टम सटीक व विश्वसनीय रिपोर्ट/ रिटर्न और अन्य वित्तीय व गैर-वित्तीय जानकारी उत्पन्न कर सके, जिसका उपयोग वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए किया जाता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। बैंक की परिचालन और वित्तीय प्रक्रियाएं दैनिक आधार पर व्यापक मात्रा में होती है और विविध व जटिल लेन-देन की प्रक्रिया होती है जो आईटी प्रणालियों पर अत्यधिक निर्भर हैं। यहाँ एक जोखिम रहता है कि स्वचालित लेखांकन प्रक्रियाएं और संबंधित आंतरिक नियंत्रण सटीक रूप से डिज़ाइन व प्रभावी ढंग से संचालित नहीं हो सकते हैं, जिसके कारण इसे एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा का विषय माना जाता है।

लेखा-परीक्षक के अभिमत

मुख्य लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ

हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में प्रमुख आईटी अनुप्रयोगों का मूल्यांकन और पहचान शामिल है, और परीक्षण पर प्रणाली जनित रिपोर्ट/ रिटर्न और अन्य वित्तीय व गैर-वित्तीय जानकारी के परीक्षण जांच के आधार पर आईटी सिस्टम के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का सत्यापन, परीक्षण और समीक्षा करना शामिल है।

हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं शामिल हैं :

ए) बैंक के आईटी नियंत्रण वातावरण और लेखापरीक्षा अवधि के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त की जो लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं।

बी) परीक्षण जांच के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण अनुप्रयोग, पहुंच नियंत्रण सहित बैंक के आईटी नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता की समीक्षा की गई।

सी) जहां हमने अतिरिक्त प्रक्रियाओं को निष्पादित करने की आवश्यकता की पहचान की, हमने मैन्युअल क्षतिपूर्ति नियंत्रणों पर निर्भरता रखी; जैसे सिस्टम और अन्य सूचना स्रोतों के बीच सामंजस्य या अतिरिक्त परीक्षण करना; पर्याप्त और उचित ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमने अधिक नमूना जांच की।

डी) सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए कार्य और शाखा लेखा परीक्षा के आधार पर पारित सुधार प्रविष्टियों (एमओसी) पर निर्भरता रहती है।

ई) जहां भी उपलब्ध कराया गया हो, बाह्य विक्रेता निरीक्षण रिपोर्ट पर निर्भरता रहती है।

एफ) आईएस ऑडिट रिपोर्ट की समीक्षा की और प्रमुख आईटी नियंत्रणों के अनुपालन पर आईटी विभाग के साथ चर्चा की।

III. निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन, गैर-निष्पादित निवेशों की पहचान और प्रावधान (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के नोट 1 के साथ पढ़ी जाने वाली अनुसूची 17 के पैरा 4 देखें)

निवेश में बैंक द्वारा विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बॉण्ड, डिबेंचर, शेयर, सुरक्षा रसीदें और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में किया गया निवेश शामिल है।

बैंक की कुल संपत्ति में निवेश 25.62 प्रतिशत है। ये भारिबैं के परिपत्रों और निर्देशों द्वारा शासित होते हैं।

भारिबैं के निर्देश, अन्य बातों के साथ निवेश का मूल्यांकन, निवेश का वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेश की पहचान, आय की गैर-मान्यता और उसके प्रति प्रावधान के लिए लागू होते हैं।

बाजार की अस्थिरता, विश्वसनीय कीमतों की अनुपलब्धता और व्यापक आर्थिक अनिश्चितता के कारण गैर-उद्त निवेश और कम कारोबार वाले निवेश का मूल्यांकन अंतर्निहित जोखिम का क्षेत्र है।

उपरोक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन भारिबैं द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित विधि के अनुसार किया जाना है, जिसमें एफआईबीआईएल दरों, बीएसई / एनएसई पर उद्त दरों, असूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण आदि जैसे विभिन्न स्रोतों से डेटा / जानकारी का संग्रह शामिल हैं। मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं और निर्णय की सीमा, लेन-देन की मात्रा, उपलब्ध निवेश और नियामक की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, हमने उपरोक्त क्षेत्र को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया।

लेखा-परीक्षक के अभिमत

मुख्य लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ

भारिबैं के परिपत्रों/ निर्देशों के संदर्भ में निवेश के प्रति हमारी लेखापरीक्षा दृष्टिकोण मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेशों (एनपीआई) की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान/ मूल्यह्रास के संबंध में आंतरिक नियंत्रण और वास्तविक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की ओर केन्द्रित थी।

ट्रेज़री के लेखापरीक्षा के संबंध में हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं निम्नलिखित पर केंद्रित हैं –

ए) हमने मूल्यांकन, वर्गीकरण, एनपीआई की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान/ मूल्यह्रास के संबंध में प्रासंगिक भारिबैं के दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया व उसे समझा।

बी) उपलब्ध निवेश के चयनित नमूने के लिए, हमने सुरक्षा की प्रत्येक श्रेणी के लिए फिर से मूल्यांकन करके भारिबैं के मास्टर परिपत्रों और निर्देशों के साथ सटीकता और अनुपालन का परीक्षण किया। निवेश की सभी श्रेणियां (प्रतिभूतियों की प्रकृति के आधार पर) नमूने में शामिल हैं, सुनिश्चित करने के बाद नमूनों का चयन किया गया।

सी) नवीनतम उपलब्ध वित्तीय विवरणों के आधार पर या भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार अन्य निर्धारित प्रक्रियाओं के आधार पर, गैर-उद्त निवेशों के स्वतंत्र रूप से परीक्षण-जाँच की गई।

डी) हमने एनपीआई की पहचान और आय के अनुरूप प्रतिवर्तन और प्रावधान के निर्माण की प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया।

ई) हमने भारिबैं के परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार बनाए रखे जाने वाले प्रावधान और प्रदान किए जाने वाले मूल्यह्रास की स्वतंत्र रूप से पुन: गणना करने के लिए पर्याप्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं अपनाईं। तदनुसार, हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेश से नमूने का चयन किया और भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीआई के लिए परीक्षण किया और एनपीआई के उन चयनित नमूनों के लिए भारिबैं के परिपत्र के अनुसार बनाए रखने के प्रावधान की पुनर्गणना की।

IV. कुछ मुकदमों के संबंध में प्रावधानों और आकस्मिक देनदारियों का आकलन, अन्य पक्षों द्वारा दायर किए गए विभिन्न दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के नोट 14 (एएस -29) के साथ पठित अनुसूची 17 के पैरा 13 और अनुसूची 12 का संदर्भ ले) :

बैंक ने इसके प्रति विवादित दावे किए हैं, जिनमें कर और गैर-कर मामलों में विभिन्न स्तरों पर लंबित मामले भी शामिल हैं, जो विभिन्न अदालतों/ मंचों में लंबित हैं और न्यायिक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं। प्रबंधन ने ऐसे मामलों में संभावित बहिर्प्रवाह का आकलन करने में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

प्रावधान के स्तर का अनुमान लगाने के लिए उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। बैंक का मूल्यांकन मामले के तथ्यों, उनके स्वयं के निर्णय, पिछले अनुभव और जहां भी आवश्यक समझा जाए, कानूनी और स्वतंत्र कर सलाहकारों की सलाह से समर्थित है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए लाभ और तुलन-पत्र में प्रस्तुत मामलों की स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

हमने इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को देखते हुए उपरोक्त क्षेत्र को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है, जिसके लिए कानून की व्याख्या में निर्णय के आवेदन की आवश्यकता होती है। तदनुसार, हमारा लेखापरीक्षा विचाराधीन विषय वस्तु के तथ्यों और इसमें शामिल कानून के निर्णय/ व्याख्या का विश्लेषण करने पर केंद्रित था।

लेखा-परीक्षक के अभिमत

मुख्य लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ

ए) हमने योजना की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया और कर मुकद्दमेबाजी मामलों पर प्रबंधन के नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया है।

बी) हमने संभावित बहिर्प्रवाह और विवादों के संभावित परिणाम का अनुमान लगाने में प्रबंधन की अंतर्निहित धारणाओं की समीक्षा की। इन अनिश्चित कर/ गैर कर स्थितियों पर प्रबंधन की स्थिति का मूल्यांकन करते समय कानूनी प्राथमिकता और अन्य फैसलों पर विचार किया गया।

सी) इसके अतिरिक्त, हमने ऐसी विवादित कर स्थितियों के संबंध में प्रबंधन निर्णयों, उद्योग स्तर के विचार-विमर्श और संभावित बहिर्वाह के अनुमान व बैंक के आंतरिक विशेषज्ञों की अभिमत पर विश्वास किया।

डी) प्रमुख विवादित गैर-कर मामलों के लिए प्रबंधन द्वारा चुनिंदा प्रमुख पत्राचार, आंतरिक/ बाह्य कानूनी राय/ परामर्श को पढ़ा और उनका विश्लेषण किया।

ई) बैंक/अन्य कॉर्पोरेट के मामले में एक-समान मामलों में जहां भी उपलब्ध हो, वहां अन्य कानूनी घोषणाओं की समीक्षा और सत्यापन किया गया।

एफ) उपयुक्त वरिष्ठ प्रबंधन के साथ चर्चा की गई और प्रावधानों का अनुमान लगाने में प्रबंधन की अंतर्निहित प्रमुख धारणाओं का मूल्यांकन किया गया।

जी) विवादित गैर-कर मामलों के संभावित परिणाम के बारे में प्रबंधन के अनुमान का आकलन किया और ऐसे मामलों में प्रबंधन के निर्णयों पर विश्वास किया।

5. अन्य मामले

ए) हमने बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल 903 शाखाओं, 20 अन्य कार्यालयों एवं 4 विदेशी शाखाओं के वित्तीय विवरणों / सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनकी वित्तीय विवरणी / वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2025 तक रु. 2,01,132.37 करोड़ की कुल संपत्ति को दर्शाती है और उस वर्ष के लिए कुल राजस्व रु.15,206.72 करोड़ है, जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में उल्लिखित है। 31 मार्च 2025 तक इन शाखाओं और प्रसंस्करण केंद्रों द्वारा अग्रिम का 47.45%, जमा का 42.59% और गैर-निष्पादित आस्तियों का 22.76% और 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व का 45.16% कवर किया जा रहा है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों / सूचनाओं का लेखा-जोखा शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है और अब तक हमारी राय में यह शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरण से संबंधित है जो पूरी तरह से इस तरह के शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित हैं।

बी) 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए पिछले वर्ष के लिए बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा संयुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया था, जिनमें से एक पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा फर्म हैं और उन्होंने 09 मई 2024 की अपनी रिपोर्ट के माध्यम से ऐसे वित्तीय विवरणों पर असंशोधित अभिमत व्यक्त की है।

इस संबंध में हमारे अभिमत में संशोधन नहीं किया गया है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य जानकारी

6. अन्य जानकारी के लिए बैंक का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में निदेशकों की रिपोर्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, प्रमुख वित्तीय संकेतक और शेयरधारक की जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है। अन्य जानकारी हमें इस लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख के बाद उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय बेसल III प्रकटीकरण के तहत अन्य जानकारी और स्तंभ 3 प्रकटीकरण को सम्मिलित नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं और न ही करेंगे।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी उक्त वर्णित अन्य जानकारी जब यह उपलब्ध हो, को पढ़ना है और इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारे ज्ञान के साथ भौतिक रूप से असंगत है, या अन्यथा ऐसा प्रतीत होता है कि इसे भौतिक रूप से ग़लत वर्णित गया है।

जब हम निदेशकों की रिपोर्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, प्रमुख वित्तीय संकेतक और शेयरधारक की जानकारी पढ़ते हैं, अगर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसमें कोई मिथ्य कथन है, तो हमें इस मामले को गवर्नेंस के प्रभारी को सूचित करना आवश्यक होगा।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी तथा उन पर गवर्नेंस का प्रभार है

7. बैंक का निदेशक मंडल स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों ,जिसमें लेखा मानक और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और भारतीय रिज़र्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र और दिशानिर्देश शामिल हैं, के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही और उचित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। इस जिम्मेदारी में बैंक की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का अनुरक्षण ; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन; निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार करना, कार्यान्वयन और अनुरक्षण, जोकि लेखांकन के रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे,वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और सामग्री के दुरुपयोग से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भी हुई हो, शामिल है।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, एक चालू संस्था के रूप में जारी रखने की बैंक की क्षमता का आकलन करने के लिए प्रबंधन जिम्मेदार होता है, जब तक कि प्रबंधन या तो बैंक को बंद करने या परिचालन को बंद करने का इरादा नहीं रखता है, तब तक परिचानगत संस्था से संबंधित मामलों का प्रकटीकरण करता है और लेखांकन के आधार पर परिचालनगत संस्था का उपयोग करता है। निदेशक मंडल बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देख-रेख के लिए भी जिम्मेदार है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारियां

8. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भी हुई हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन होता है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएओं के अनुसार की गई लेखा परीक्षा सदैव ही किसी सामग्री की गलती के मौजूद होने का पता लगाएगी।गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें सामग्री, व्यक्तिगत या समग्र रूप से, माना जाता है। इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय प्रभावित होने की उम्मीद की जा सकती है।

एसए के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में हम पेशेवर निर्णय लेते हैं तथा पूरी लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर संशयवाद बनाए रखते हैं। साथ ही हम:

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों को पहचान कर , उनका आकलन करते हैं , चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुए हो, उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादन करते हैं व लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होनेवाली सामग्री से गलत विवरण का पता नहीं लगने के कारण जोखिम त्रुटि एक से अधिक रूप में परिणामित हो सकती है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण को निरस्त करना शामिल हो सकती है।
- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें ताकि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन की जा सकें जो परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हों।
- प्रबंधन के द्वारा उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कशीलता का मूल्यांकन करते है।
- लेखांकन के के आधार पर चालू प्रतिष्ठान के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो बैंक को चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करने होगा। हमारे निष्कर्ष लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाएं या शर्त बैंक को चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने से वंचित कर सकती हैं।
- समग्र प्रस्तुति, प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की विषय वस्तु और संरचना के मूल्यांकन सहित इस बात का मूल्यांकन करते हैं कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देन और घटनाओं का इस तरह से दर्शाते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

भौतिकता स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिणाम है, जो व्यक्तिगत या समग्र रूप से , जिसके कारण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखा परीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने और (ii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में किसी भी चिन्हित गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के संबंध में गवर्नेंस के साथ चर्चा करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में लेखा परीक्षा के दौरान चिन्हित महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं।

हम उन लोगों को जिन पर गवर्नेंस का प्रभार है , उन्हें भी यह विवरणी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ सभी संबंधों और अन्य मामलों जो कि हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में संवाद करने के लिए विचार किया जा सकता है।

उन प्रभारों के संबंध में गवर्नेंस को संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है, हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं, या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से दुष्परिणाम स्वरूप संचार जनहित लाभ कम हो जाएंगे।

अन्य विधिक तथा नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

9. तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किया गया है।

उपरोक्त पैराग्राफ 5,7 से 8 में इंगित लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 के अनुसार इसमें आवश्यक प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन रहते हुए हम रिपोर्ट करते हैं कि:

ए) हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों को प्राप्त किया है जो लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए आवश्यक थे एवं हमने उन्हें संतोषजनक पाया है;

बी) बैंक के वे सभी लेन-देन जोकि हमारे संज्ञान में थे बैंक की क्षमता के अधीन हैं; तथा

सी) बैंक की शाखाओं तथा कार्यालयों से प्राप्त विवरणियां हमारे लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए पर्याप्त पाई गयी थीं।

10. जैसा कि पत्र संख्या डीओएस.एआरजी.6270/08.91.001/2019-20 दिनांकित 17 मार्च 2020 की आवश्यकताओं के अनुसार "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति- वित्तीय वर्ष 2019-20 से एससीए की रिपोर्टिंग उत्तरदायित्व" पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उत्तरवर्ती संसूचना दिनांकित 19 मई, 2020 के साथ पठित , हम उपरोक्त पत्र के पैरा 2 में निर्दिष्ट मामलों पर आगे की रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत करते हैं :

ए) हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण आईसीएआई द्वारा ज़ारी लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, यहाँ तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

बी) वित्तीय लेन-देन या मामलों पर कोई टिप्पणी और अवलोकन नहीं है, जिसका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

सी) चूंकि बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत नहीं है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) के तहत बैंक के निदेशक होने की अयोग्यताएं बैंक पर लागू नहीं होती है।

डी) खातो और अन्य मामलों से जुड़े मामलों के अनुरक्षण से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

ई) वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंकों के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के **अनुबंध-ए** में दी गई है। हमारी रिपोर्ट 31 मार्च, 2025 को वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक अपरिवर्तित अभिमत व्यक्त करती है।

11. हम साथ ही यह रिपोर्ट करते हैं कि :

ए) हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं से हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए बैंक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त खाता बही विवरणियों से प्राप्त की गयी हैं और उन शाखाओं से जिनका हमने दौरा नहीं किया है वहाँ से हमें लेखापरीक्षण के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियाँ प्राप्त हुई हैं।

बी) इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन पत्र, लाभ और हानि खाता और नकदी के प्रवाह का विवरण और उन शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ जहां हम नहीं गए, खाता बहियों के साथ हैं।

सी) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के तहत बैंक के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा समुचित सावधानी बरती गई है।

डी) हमारी राय में, तुलन पत्र , लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह का विवरण लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं और वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ए'

(हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के अंतर्गत पैराग्राफ 10(ई) में संदर्भित)

भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") के पत्र संख्या डीओएस. एआरजी. संख्या. 6270/ 08.91.001/ 2019-20 दिनांकित 17 मार्च 2020 (यथा संशोधित) ("आरबीआई सूचना") के माध्यम से अपेक्षित वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

अभिमत

हमने 31 मार्च 2025 तक **इण्डियन ओवरसीज़ बैंक** ("बैंक") के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की है, जो उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के साथ आनुषंगिक है, जिसमें बैंक की शाखाओं के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों हेतु प्रबंधन के दायित्व

बैंक की प्रबंधन और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है जो बैंक की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी, जैसा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने भारत के भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आइसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शन नोट") पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट और जारी किए गए लेखा परीक्षण (एसएएस) पर मानकों के अनुसार अपना लेखा परीक्षण किया, आईसीएआई द्वारा, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक किया है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना और लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और यदि ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि एक भौतिक कमजोरी मौजूद है और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं और शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य, नीचे दिए गए अन्य मामलों के प्रकरण में संदर्भित उनकी रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय रिपोर्टिंग पर नियंत्रण के लिए बैंक की आंतरिक वित्तीय विषय पर वित्तीय विवरणी से संबंधित हमारी लेखा परीक्षा अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, बैंक की संपत्ति के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक के रूप में दर्ज किया गया है और बैंक की प्राप्तियां और व्यय केवल बैंक के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) बैंक की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री का गलत विवरण हो सकता है और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर बिगाड़ सकता है।

अभिमत

हमारी राय में, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर, बैंक के पास सभी भौतिक मामलों में पर्याप्त हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2025 को प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर टिप्पणी, मार्गदर्शन में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदंड पर आधारित था।

अन्य मामले

हमारी पूर्वोक्त रिपोर्ट जो 923 शाखाओं की वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता से संबंधित है जो कि उन शाखाओं के संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित हैं।

इस संबंध में हमारे अभिमत में संशोधन नहीं कयिा गया है।

कृते आर देवेंद्र कुमार व एसोसिएट्स सनदी लेखाकार **एफआरएन 114207डब्ल्यू** **(पीयूष पित्रोदा)** साझेदार **एम संख्या:188843** यूडीआइएन :25188843बीएमजेजीटीओ9194	**कृते तेज राज व पाल** सनदी लेखाकार **एफआरएन : 304124ई** **पी वेणुगोपाल राव** साझेदार **एम संख्या: 010905** यूडीआइएन: 25010905बीएमओएचटीपी 9242
कृते लक्ष्मी तृप्ति व एसोसिएट्स सनदी लेखाकार **एफआरएन : 009189सी** **विवेक मेहता** साझेदार **एम नं. : 415118** यूडीआइएन : 25415118बीएनजीएजीटी5392	**कृते संजीव ओम प्रकाश गर्ग एंड कंपनी** सनदी लेखाकार **एफ़आरएन: 008773सी** **अनूप मितना** साझेदार **एम नं. : 405289** यूडीआइएन: 25405289बीएमकेटीकेके2947

दिनांक: 2 मई 2025
स्थान: चेन्नै

NOTICE INVITING e-TENDER

NIeT NO-06/ EO(PS)/Raghunathganj-II/2025-2026, 07/EO(PS)/ Raghunathganj-II/2025-2026, 04/BDO(CER)SgTPP/Raghunathganj-II/2025-2026 & 09/EO(SBMG)/LWM/Raghunathganj-II/2025-2026

Undersigned invites sealed Tender from bonafied & experienced contractors Regd. Co-Op. Societies formed by unemployed Engineers & Labour Co-operative for verious Schemes under different fund of BDO head of Raghunathganj-II Block.

Last Date of document upload and bid submission (on line): 10/06/2025, 10/06/2025, 19.06.2025 & 23.06.2025

For details follow the website:**wbtenders.gov.in**

Sd/-
B.D.O
Raghunathganj-II Dev. Block
Jangipur, Murshidabad

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305

E-NIT No.- ADDA/ASN/ED/N-20 of 2025-2026 Dated. 05.06.2025

Executive Engineer (Civil), ADDA, Asansol invite Online percentage rate Tender (Two Bid System in two Parts) in Authority's Contract Form from reliable, resourceful and experienced Contractors; for other details visit our website: **wbtenders.gov.in**, **www.addaonline.in** or ADDA office, Asansol.

Sd/- E.E.(Civil), ADDA, Asansol

Salma gram panchayat
Saltora Panchayat Samiti
Saltora, Bankura
eNIT No. 06/SALMA GP/ 2025-26 dt,- 05.06.2025 under Salma gram panchayat.

The Pradhan, Salma gram panchayat invites percentage rate e-tender for 01 nos. Schemes. Other details will be available in the Office of the undersigned in any working days. eNIT NO-06/SALMA GP/2025-26, Dt-05.06.2025 Tender ID: 2025_ZPHD_860039_1, Date of closing- 20/06/2025 UPTO 11.00 AM For further details, may please visit the Govt. Website: http://wbtenders.gov.in

Sd/-
Pradhan
Salma gram panchayat
Saltora, Bankura

IndiaShelter Home Loans — **इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.**

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) (यहाँ आगे "नियमावली" कहा गया है) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 (यहाँ आगे "अधिनियम" कहा गया है) के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु नीलामी बिक्री सूचना।

एतदद्वारा सर्व साधारण और कर्जदार(ओं), सह–कर्जदार(ओं) और जमानती(ओं) या उनके कानूनी उत्तराधिकारी(ओं) या प्रतिनिधि(ओं) को सूचित किया जाता है कि इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यहाँ आगे प्रत्याभूत लेनदार कहा गया है) को बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्ति(याँ) जिसका प्रत्याभूत लेनदार, **पंजीकृत कार्यालयः 6वाँ तल, प्लॉट नं. 15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर–44, गुरूग्राम–122002, हरियाणा** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा लिया गया है, कर्जदारों, सह–कर्जदारों और जमानतियों से प्रत्याभूत लेनदार को देय राशि की वसूली के लिए **"जहाँ है जैसा है", "जो है जैसा है" और "जो कुछ भी है"** आधार अधोल्लिखित तारीखों को बिक्री की जायेंगी। बिक्री नीचे उल्लिखित स्थान पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाएगी।

ऋण खाता संख्या/एपी संख्या और कर्जदार(ओं)/सह– कर्जदार(ओं) जमानती(ओं) के नाम	13(2) के तहत मांग नोटिस की तारीख और राशि	अचल संपत्ति/प्रत्याभूत परिसंपत्ति का विवरण	कब्जे की तारीख और प्रकार	आरक्षित मूल्य	संपत्ति निरीक्षण की तारीख व समय
ऋण खाता संख्या/ एपी संख्याः HL49CHLONS000005050146 / AP-10115914 **श्री/श्रीमती गुरवारी निहाल और श्री/श्रीमती मोहन निहाल**	**20.06.2023 और** रु. 21,57,883/– (रुपये इक्कीस लाख सत्तावन हजार आठ सौ तिरासी मात्र) दि. 10.06.2023 को **बोली वृद्धि राशिः** रु. 10,000/– (रुपये दस हजार मात्र)	संपत्ति वार्ड नं. 45 में, पीएच. नं. 113/44, नया 67, खसरा नं. 279/12, तहसील व जिला रायपुर–492001, छत्तीसगढ़, क्षेत्रफल 1275 वर्ग फुट के समस्त भाग व खंड। **सीमाएँः–** पूर्वः अन्य की जमीन, पश्चिमः अन्य की जमीन, उत्तरः प्रवीन जैन और राजेश जैन का मकान, दक्षिण– रोड	**20.10.2024 सांकेतिक**	**रु. 16,00000/–** (रुपये सोलह लाख मात्र) **धरोहर राशि जमा (ईएमडी)–** रु. 1,60,000/– (रुपये एक लाख साठ हजार मात्र)	**26–06–2025** **ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 27.06.2025** **नीलामी की तिथि एवं समय 28.06.2025**

ईएमडी जमा करने का स्थानः– शाखा कार्यालयः– इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कार्यालय नं. 517, 5वाँ तल, लाल गंगा बिजनेस पार्क, न्यू धामतरी रोड, पचपेड़ी नाका, रायपुर–492001

प्राधिकृत अधिकारी का नाम और मोबाइल नं.– तुषार हर्डे, 08956559300/07350002453 और श्री भूपेश सिंह– 9340142813

नीलामी का स्थानः– इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कार्यालय नं. 517, 5वाँ तल, लाल गंगा बिजनेस पार्क, न्यू धामतरी रोड, पचपेड़ी नाका, रायपुर–492001

भुगतान का माध्यमः– सभी भुगतान इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम में डिमांड ड्रॉफ्ट के द्वारा किए जायेंगे।

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए, कृपया प्रत्याभूत लेनदार की वेबसाइटः www.indiashelter.in देखें अथवा प्राधिकृत अधिकारी को संपर्क करें।

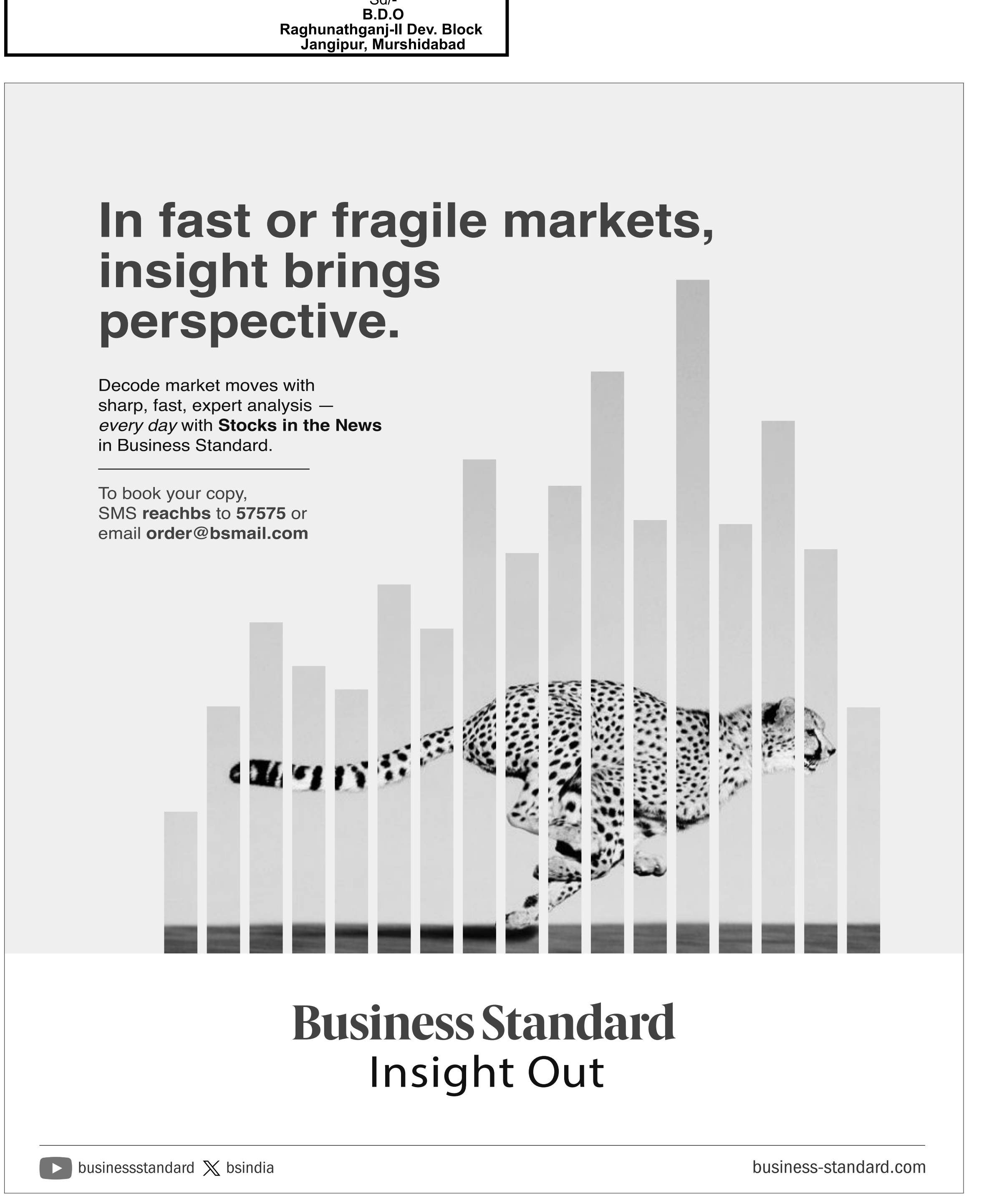

उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक

सार्वजनिक नीलामी सूचना

पंजीकृत कार्यालयः– ग्रेप गार्डन, नं. 27 तृतीय 'ए' क्रॉस, 18जी मेन, 6वां ब्लॉक, कोरमंगला, बेंगलुरु कर्नाटका-560095

क्षेत्रीय कार्यालयः– जी एम टी टी बिल्डिंग प्लॉट नं. डी-7, सेक्टर-3, नोएडा (यूपी) उज्जीवन स्माल फाईनेंस बैंक जिसकी शाखा रायपुर (छ.ग)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के परंतुक नियम 8(6) और 9 के साथ पठित वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी अधिनियम) 2002 के तहत बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना।

उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि बैंक के बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित खाते में बंधक संपत्ति की सार्वजनिक नीलामी "जहां है जैसा है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे निर्धारित तिथि को आयोजित की जाएगी।

ऋण खाता नं.	कर्जदार/सह-कर्जदार/ गारंटर का नाम	13-2 नोटिस की तिथि और मांग राशि	कब्जे की तिथि	वर्तमान बकाया राशि	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय	आरक्षित मूल्य रु. में	जमा धरोहर राशि (ईएमडी) रु. में (आरक्षित मूल्य का 10%)	ई-नीलामी की तिथि एवं समय	बोली जमा करने की अंतिम तिथि	ईएमडी जमा करने के लिए खाता विवरण (ईएमडी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया जाएगा
233921 009000 0023	1. नया ढाबा प्रोपराईटर कृष्ण कुमार कौशिक (इसके कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से) 2. कृष्ण कुमार कौशिक पुत्र बुद्धदास कौशिक 3. स्वाति कौशिक पत्नी कृष्ण कुमार कौशिक 4. धजेश्वरी कौशिक पत्नी बुद्ध दास कौशिक 5. हेम प्रकाश कौशिक पुत्र बुद्ध दास कौशिक	06.07.2023 रु. 51,15,342/-	11.12.2024	रु. 73,65,276.72/- दिनांक 27.05.2025 तक	16.06.2025 अर्पा. 02.00 बजे तक	रु. 42,12,000/-	रु. 4,21,000/-	26.06.2025 को दोपहर 12.00 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक	25.06.2025 को अर्पा. 04.00 बजे तक	ईएमडी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, रायपुर शाखा जोकि भूतल और प्रथम तल 38/517, 518, 564/4, तत्यपारा वार्ड नं. 38, रायपुर, छत्तीसगढ़- 492001 के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए।

सम्पर्क नं. 9329427916/9983365566

रिहायशी सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि खसरा नं. 507/5 और 593/1, क्षेत्रफल 2400 वर्ग फीट, मंदिरहौसद, पी.सी. नं. 73/16, आर.आई.सी.-मंदिरहौसद, रायपुर, छत्तीसगढ़, जिसकी सीमा इस प्रकार हैः सीमाएँः पूर्वः सड़क, पश्चिम : संतोष सिन्हा की भूमि, उत्तरः विक्रेता की शेष भूमि, दक्षिणः सड़क

नियम एवं शर्तें–

ई–नीलामी **"जहां है जैसा है" और "जो कुछ भी है"** के आधार पर आयोजित की जायेगी।

1. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और सूचना के अनुसार, किसी भी संपत्ति पर कोई ऋणभार नहीं है। हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले, ऋणभार, नीलामी के लिए रखी गई संपत्तियों के स्वामित्य और संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/देवताओं के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए। ई–नीलामी विज्ञापन से बैंक की कोई प्रतिबद्धता या कोई प्रतिनिधित्व नहीं बनता है और न ही यह माना जाएगा। संपत्ति की बैंक की जात या अज्ञात सभी मौजूदा और भावी ऋणभारों के साथ चेचा जा रहा है। अधिकृत अधिकारी/सिक्योर्ड क्रेडिटर किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/ देयताओं के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
2. बोली प्रस्तुत करने से पहले संपत्ति और विशिष्टताओं के बारे में निरीक्षण और स्वयं की संतुष्ट करने की जिम्मेदारी बोलीदाताओं की होगी। नीलामी के लिए रखी गई संपत्तियों का निरीक्षण इच्छुक बोलीदाताओं को प्रत्येक संपत्ति विवरण के सामने उल्लेखित साइटों पर करने की अनुमति दी जाएगी।
3. इच्छुक बोलीदाताओं की अपनी चोली ऊपर उल्लिखित नीलामी की तारीख से पहले अधोहस्ताक्षरित प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।
4. ई–नीलामी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा अनुमोदित ई–नीलामी सेवा प्रदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से आयोजित की जाएगी। संपर्क व्यक्ति प्रभाकरन (मो. संख्या 7418281709) इच्छुक बोलीदाताओं की संपत्ति के विवरण के लिए **https://www.bankeauctions.com or https://www.ujjivansfb.in/e-auctions** पर जाने की सलाह दी जाती है। और बोली में भाग लेने के लिए उन्हें पोर्टल **https://www.bankeauctions.com** पर अपना नाम दर्ज कराना होगा और अपना यूजर आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करना होगा। भावी बोलीदाता सेवा प्रदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हेल्पलाइन नं. 7291918824, 25, 26, सपोर्ट ईमेल आईडीः support@bankeauctions.com, नीलामी पोटल– https://www.bankeauctions.com से ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
5. संपत्ति उच्चतम चोलीदाता/प्रस्तावित को बेची जाएगी, जो प्रतिभूत लेनदार, पानी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड द्वारा बोली की स्वीकृति के अधीन होगी। हालांकि, अधोहस्ताक्षरी के पास पूर्ण विवेक है कि यदि आवश्यक समझा जाए तो इंटर से बोली लगाने की अनुमति दी जा सकती है। प्राधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण वताए किसी भी प्रस्ताव निविदा की स्वीकार या अस्वीकार करने का विवेकाधिकार है।
6. सफल बोलीदाता की जमा धरोहर राशि (ईएमडी) को आशिक विक्री प्रतिफल के रूप में रखा जाएगा और असफल बोलीदाताओं की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। जमा धरोहर राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के 24 घंटों के भीतर, पहले से भुगतान की गई ईएमडी को समायोजित करते हुए विक्री मूल्य का 25% जमा करना होगा और बिक्री के 15 वें दिन या उससे पहले विक्री मूल्य का शेष 75% या किसी भी मामले में लिखित रूप में और केवल प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर अधिकतम 3 महीने की विस्तारित अवधि के भीतर सहमति के अनुसार जमा करना होगा। सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान में चूक के मामले में, प्रस्ताव द्वारा पहले से जमा की गई राशि की जब्त कर लिया जाएगा और संपति को फिर से नीलामी के लिए रखा जाएगा और डिफॉल्ट खरीदार का संपत्ति राशि के संबंध में कोई दावा अधिकार नहीं होगा।
7. यह प्रकाशन प्रभावी मुख्य खंड के अधीन है।
8. बोलीदाताओं के अपने हित में अंतिम क्षण में बोली लगाने से बचना चाहिए क्योंकि न तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और न ही सेवा प्रदाता किसी भी चूक/विफलता (इंटरनेट विफलता बिजली विफलता आदि) के लिए जिम्मेवार होंगे, ऐसी आकस्मिक परिस्थितियों की घटनाओं से चचने के लिए बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्थाधविकल्प जैसे कि बिजली आपूर्ति बैंक–अप आदि की व्यवस्था करें, ताकि वे ऐसी स्थिति से बच सकें और सफलतापूर्वक नीलामी में भाग ले सकें।

यह बंधक संपत्तियों की बिक्री के लिए निर्धारित सार्वजनिक नीलामी के बारे में उपरोक्त नामित कर्जदारों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं के लिए भी एक सूचना है।

स्थानः 07.06.2025 स्थानः छत्तीसगढ़ **प्राधिकृत अधिकारी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक**